



प्रेस नोट  
जनपद – सोनभद्र  
दिनांक – 30.11.2025



सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्यवाही — कफ सीरप तस्करी का मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल गिरफ्तार-

विदेश भागने की फिराक में था आरोपी | ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा ड्रग माफियाओं एवं कफ सीरप तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित सोनभद्र पुलिस, एसआईटी व एसओजी टीम सोनभद्र ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

टीम द्वारा कोलकाता से कफ सीरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र रामदयाल, निवासी ए-924/जे, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, आदमपुर, जनपद वाराणसी को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था। गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस द्वारा कोलकाता में ट्रांजिट रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया जाएगा।

कफ सीरप बरामदगी का पूरा प्रकरण-

दिनांक 18.10.2025 को जनपद सोनभद्र में चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से कुल 1,19,675 कफ सीरप की शीशियाँ बरामद की गई थीं। इसके अतिरिक्त, आरोपी बृज मोहन व शिवहरि की सूचना के आधार पर सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में संयुक्त कार्यवाही कर चार ट्रकों से भारी मात्रा में कफ सीरप तथा ₹20 लाख फंडिंग की नकदी बरामद की थी।

जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखण्ड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सीरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जनपदों में अवैध वितरण किया जा रहा था। एसआईटी जांच में जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में लगभग ₹25 करोड़ के फर्जी लेन-देन का खुलासा हुआ, जिनमें से अधिकांश फर्में धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गईं संलिप्त खातों को फ्रीज कराया गया है।

नया अभियोग पंजीकरण एवं आरोप-

दिनांक 29.11.2025 को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर

मु0अ0सं0 1191/2025 धारा318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(A) भारतीय न्याय संहिता तथाधारा 27(A), 29 NDPS Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

उक्त अभियोग में उल्लेखित है कि ग्राम बरकरा की फर्जी फर्म माँ कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिवक्षा प्रा0 लिमिटेड द्वारा 01.04.2024 से 23.08.2025 तक 7,53,000 शीशियाँ Phensedyl Syrup अवैध रूप से काले बाजार में खपाई गईं।

उक्त संगीन आरोपों के आधार पर सोनभद्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी की गई।

जनपद जिनमें आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल वांछित था

जनपद चंदौली

जनपद जौनपुर

जनपद गाजीपुर

